

प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा ।

सेवा में

1. अतिरिक्त श्रम आयुक्त (एन0सी0आर), गुडगांव ।
2. सभी उप श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य ।
3. सभी उप निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य ।
4. सभी सहायक श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य ।
5. सभी सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य ।
6. सभी सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य (कैमीकल), हरियाणा राज्य ।

क्रमांक: /स्था0/03/2015/ ५ 2529-593

दिनांक : 24-11-15

विषय : हरियाणा विधान सभा अधिवेशन ।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में ।

आपको सूचित किया जाता है कि हरियाणा विधान सभा का अधिवेशन दिनांक 30.11.2015 को शुरू हो रहा है ।

अतः निर्देश दिये जाते हैं कि विधान सभा अधिवेशन के दौरान सभी अधिकारी/कर्मचारी न ही अवकाश पर और न ही दौरे पर जायेंगे। इस दौरान वे सभी मुख्यालय पर रहेंगे। इसके अतिरिक्त आप अपने कार्यालय में दूरभाष पर किसी जिम्मेवार कर्मचारी की दिनांक 29.11.2015 से 05.12.2015 तक रात्रि 9:00 बजे तक ड्यूटी लगायें तथा इस बारे मुख्यालय को भी सूचित करें । सभी उप श्रम आयुक्त/उप निदेशक, औ0सु0 एवं स्वा0 से ये अनुरोध है कि वे भी अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को इसके बारे में अपने स्तर पर भी सूचित करें।

अतिरिक्त श्रम आयुक्त (प्रशा0)
श्रम विभाग, हरियाणा ।